आदेश की क्र0स0 और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3
	अनुमंडल पदाधिकारी छतरपुर के आदेशानुसार चलितर यादव पिता स्व० कुष्पु यादव के नाम से कायम किया गया परन्तु अपर समाहर्ता पलामू के विविध वाद सं० XV/09-2008-09 में दिनांक 10-03-16 को पारित आदेश के आलोक में जमाबन्दी निरस्त करते हुए मूल जमाबन्दी में वापस कर दिया गया। इस प्रकार 0.17 डी० भूमि का वर्तमान में मा० गं० किशुन महतो पिता ठाकुर महतो के नाम पर कायम किया गया है। अतः दोनों पक्षों को अपने अपने कागजात दिखाने हेतु नोटिस निर्गत करें। एवं अभिलेख दि० 28-8-2017 को रखें। 10/8/17 अंचल अधिकारी हरिहरगंज	24-6-17 नो० नि० [illegible] 17/8/17
	अभिलेख उपस्थापित किया। दोनों पक्ष उपस्थित हुए। प्रथम पक्ष हरेन्द्र यादव ने अवगत टा० सूट सं० 106/2016 चलितर यादव बनाम मदन यादव वगैरह के नाम से न्यायालय में लम्बित है। ऐसी स्थिति में अभिलेख की कार्यवाई बंद की जाती है। 31/8 अंचल अधिकारी हरिहरगंज	